प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –356 / 2020
अनवान : –

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र टीकुराम जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
3. अनिता पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 05.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 16/9 की कुल 5.1090 हैक्ट एवं रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 17/19 की कुल 7.0950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ हक हिस्सा है। वादी अपने हक हिस्सा को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 3 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 16/9 की कुल 5.1090 हैक्ट एवं रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 17/19 की कुल 7.0950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि बाबत मिकरान का राजीनामा किया हुआ है जिसके अनुसार वाद भूमि में प्रतिवादीया स0 3 व 4 कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व [illegible]ब के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:48 IST
Reason: SelfAttested

पखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

काश्तकार है। मुताबिक राजीनामा वाद न्यायालय से डिक्री किया जाता है हम मिकरान एवं मिकरान के वारिसान को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 16/9 की कुल 5.1090 हैक्ट एवं रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 17/19 की कुल 7.0950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है। वाद वादी पक्षकारान के आपसी राजीनामा एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी व प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 16/9 की कुल 5.1090 हैक्ट एवं रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 17/19 की कुल 7.0950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीलन जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 5/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:48 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गोरखाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –356 / 2020
अनवान : –

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र टीकुराम जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
3. अनिता पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 356 सन 2020 निर्णय दिनांक 05.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 16 / 9 की कुल 5.1090 हैक्ट एवं रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 17 / 19 की कुल 7.0950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गोरखाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:48 IST
Reason: SelfAttested